संख्या- 112/2023/1441/छप्पन-2023-71/2017

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 27 अक्टूबर, 2023

विषय: जनपद गाजियाबाद में स्थित हिण्डन हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तारीकरण हेतु 22,050 वर्ग मीटर भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किए जाने हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 186/आर0सी0एस0-2023-जी-2/2018 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद गाजियाबाद स्थित हिण्डन हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तारीकरण हेतु 22,050 वर्ग मीटर भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किए जाने हेतु भूमि के रजिस्ट्रेशन/म्युटेशन में निहित शुल्क की धनराशि रू0 3,17,56,600.00 (रूपए तीन करोड़ सत्रह लाख छप्पन हजार छ: सौ मात्र जिसमें स्टाम्प शुल्क रु0 2,77,83,000/- + निबन्धन शुल्क रु0 39,69,000/- + प्रतिलिपि शुल्क रु0 4,600/- की धनराशि सम्मिलिति एवं बैनामा लेखन शासकीय अधिवक्ता से कराए जाने के कारण बैनामा लेखन शुल्क रु0 7,93,800/- की धनराशि को छोड़ कर) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निवर्तन पर निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद में स्थित हिण्डन हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तारीकरण हेतु 22,050 वर्ग मीटर भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किए जाने हेतु भूमि के रजिस्ट्रेशन एवं म्युटेशन में निहित शुल्क की धनराशि रु0 3,17,56,600.00 (रूपए तीन करोड़ सत्रह लाख छप्पन हजार छ: सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं स्वीकृत धनराशि रु0 3,17,56,600.00 को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतोबंधो के अधीन प्रदान करती हैं :-

1- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक नागरिक उड्डयन की होगी।

3- निदेशक नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

5- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 3,17,56,600.00 (रूपए तीन करोड़ सत्रह लाख छप्पन हजार छ: सौ मात्र) निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निवर्तन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा यथावश्यकता समय समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 पूँजी लेखा-लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-247/दस-2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्या: 112/2023/1441(1) /छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/गाजियाबाद ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 .
7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in